UPLL010027422022

In the Court of District and Sessions Judge, Lalitpur.

Sessions Case/371/2022

STATE OF U.P. Vs. Pramod s/o Kamal Singh Lodhi

C H A R G E

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त प्रमोद पुत्र कमल सिंह लोधी, निवासी ग्राम उगरपुर, थाना पूराकलां, जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनाँक 16.09.2020 को समय लगभग 08 बजे व स्थान खेत वादिनी पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ बलात्कार किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त बुरी नियत से वादिया का को पकड़कर उसकी लज्जा भंग करने आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी को मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादिनी को गाली–गलौज करके साशय अपमानित किया, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–05.12.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–05.12.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2022.12.05 18:09:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

In the Court of District and Sessions Judge, Lalitpur.

Sessions Case/287/2022

STATE OF U.P. Vs. Pooran s/o Ramcharan

05.12.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त प्रमोद समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त प्रमोद द्वारा वादिया को पकड़कर उसे उसके साध जबरदस्ती करके मारपीट करते हुए उसके साथ बलात्कार किया गया है तथा वादिया के साथ गाली गलौज की गयी है। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध धारा 376, 354, 323, 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध धारा 376, 354, 323, 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 09.01.2023 को पेश हो।

दिनॉक–05.12.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।